

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 26.09.2019

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 15 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-12 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने विशेष अभियान के तहत जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.09.2019 को जनपद के थानों ने 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 555 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. असरफ पुत्र गुल्ले नि0 महारानीगंज पुरानी तकिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-734/19, 02. रमेश कुमार कश्यप पुत्र माधव राम कश्यप नि0 लालपुर चन्द्र भान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-735/19, 03. जपवन्ती देवी पत्नी मुकेश नि0 राधेपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-736/19, 04. भोला पुत्र झंगू नि0 राधेपुरवा गिर्द गोण्डा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-737/19, 05. मालती पत्नी नारायण खटिक नि0 मजरेठिया गिर्द थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-738/19, धारा 60) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मीना देवी पत्नी स्व0 मनिराम नि0 परसापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-324/19, 02. संगीता पत्नी स्व0 विफाई नि0 पूरे लालक थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-325/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सत्य नारायण उर्फ प्रधान पुत्र जयपत्तर नि0 पण्डित पुरवा सर कान्ठ थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-281/19, 02. श्रीमती संगीता पत्नी ननके नि0 तरिपर सोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-282/19, 03. तिलक राम उर्फ झूमे पुत्र नान्हू नि0 अनेगी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-283/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. चौबन पुत्र नानू नि0 ग्राम विशुनापुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-188/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गल्लकू उर्फ राम सकल राजभर पुत्र राम अवतार नि0 परसापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-401/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रघुनन्दन पुत्र रमजान नि0 ग्राम दानेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-266/19, 02. फूलचन्द्र पुत्र जगराम नि0 प्रताप पुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-267/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राकेश पुत्र कन्हई नि0 पिपरा स्माइल थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-153/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रमेश सोनकर पुत्र पराग राज सोनकर नि0 खटकन पुरवा पिपरा भितौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-244/19, 02. रीता पत्नी सुभाष बरुवार नि0 छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-245/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 03. मंगला देवी पत्नी गंगा राम बरुवार नि0 ग्राम महवारिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-246/129, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुग्रीव पुत्र राम राज नि0 भैयासूर बनगॉव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-273/19, 02. बाबू लाल पुत्र भोहार नि0 डिडिसिया कला थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-274/19, 03. संजय सिंह पुत्र राम देव सिंह नि0 नये पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-275/19, 04. भीम पुत्र कलीराम नि0 बासय पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-276/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बेचू पुत्र राम लखन नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 55 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-367/19, 02. लेदू सोनकर पुत्र सालिक राम नि0 रामापुर भगाही थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-368/19, 03. भोनू पुत्र रामदास नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-369/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पुल्ली पुत्र किमती नि0 अजय नगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-370/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राकेश कुमार पुत्र राम भिख नि0 मुकुन्दपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-192/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजकुमार पुत्र राममिलन नि0 बभनगॉव नरहरपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-154/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों, अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2019 को उ0नि0 सतेन्द्र वर्मा मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र में रवाना थे। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजकुमार को भावपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सतेन्द्र वर्मा।
02. हेड का0 तेज नरायण गुप्ता।
03. का0 नितेश यादव।

